

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



Open Access, Refereed Journal Multi-Disciplinary
Peer Reviewed

www.ijlra.com

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions of the authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume II Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsoever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in the Journal.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

EDITORIAL TEAM

EDITORS

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board



Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor

School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC -NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India. India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time & Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi. (2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020). Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019



Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr.Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi. Formerly Assistant professor of Law, Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8 Articles in various reputed Law Journals. Conducted IMoot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration. 10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.



Avinash Kumar



Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship. He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi. Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi. He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS
ISSN

2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.



सेज विश्वविद्यालय इंदौर
विध एवं विध अध्ययन संस्थान
महिलाओ के प्रति घरेलू हिंसा
सत्र - 2024-2025

निर्देशिका
डॉ. ज्योति पांचाल मिस्त्री

प्रस्तुतकर्ता
AUTHOR - प्रियंका मौर्यवंशी,
CO-AUTHOR - कुमारी हत्तरी और आकाश बेनल
एल एल. एम द्वितीय सेमेस्टर

रूपरेखा

- 1 परिचय
- 2 घरेलू हिंसा का अर्थ
- 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा
- 4 घरेलू हिंसा के कारण
- 5 घरेलू हिंसा के प्रकार
- 6 शोध के उद्देश्य
- 7 उपसंहार



परिचय

ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है नारी और नारी का स्वभाव है प्रत्येक रिश्तों को निभाना, वह इन रिश्तों के साथ ही जीना, नारी के इस स्वभाव में स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता, धैर्य, और वात्सल्य जैसे गुण विद्यमान होते हैं नारी में वह शक्ति है जो प्राचीन काल से ही इन सामाजिक दायित्वों को निभा रही है। नारी इस संसार में गुणों के साथ दृढ़ निष्चयी एवं साहसी भी है।

नारी व पुरुषों की समस्याएँ, इच्छाएँ, चिन्तन व गुण वही होते हैं अर्थात् समान होते हैं पर फिर भी वह पुरुषों के द्वारा शोषण का शिकार हो रही है। आज भी नारी सभी क्षेत्र में अन्याय व अत्याचार सहन कर रही है।

नारी की स्थिति सभी समाजों में समान नहीं रही है। आदिम समाजों से लेकर वर्तमान समाज में भी स्त्री-पुरुष असमानता, भेदभाव एवं स्त्री शोषण को देखा जा सकता है। स्त्री द्वारा अधीनता की मौन स्वीकृति ने भी महिला के विरुद्ध हिंसा को एक महत्वपूर्ण कारण है।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा का इतिहास काफी पुराना है वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति सही थी पर उसके बाद के काल में उत्तर वैदिक काल से वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं के शोषण को देखा जा सकता है और मध्य काल तक आते-आते महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि प्रथाओं ने महिलाओं के शोषण को बढ़ावा दिया है। वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। आज के समय में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड अटैक इत्यादि हो रहे हैं।

भारत जैसे देशों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है व इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान द्वारा प्रदान अधिकार भी महिलाओं को हिंसा व अत्याचार से नहीं बचा पा रही है।

अधिकांश महिलाएँ का आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर होता है और इसी कारण महिलाओं को अत्याचार व अपराधों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार प्राचीन काल से ही हो रहा है। जिसमें उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन आदि शामिल है यद्यपि आधुनिक काल में भारतीय महिलाएँ उन्नति कर रही हैं पर फिर भी उनके साथ हिंसा का व्यवहार हो रहा है। अधिकांश घरों में उपहास, सताना, मारपीट इत्यादि की जाती है। भारत में महिलाओं का कितना विकास हुआ है। यह ग्रामिण महिलाओं की स्थिति से

पता चलता है आज भी गांवों में महिला को अपहरण बलात्कार हत्या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय संस्कृति भी महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव व शोषण के लिए जिम्मेदार है।

इंडियन मेडिकल एसोसियन के अनुसार देश में हर वर्ष 50 लाख कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है। भ्रूण परीक्षण सम्बन्धी पी. एन. डी. टी. अधिनियम 1994 में लागू किया गया परन्तु यह सम्पूर्ण भारत में सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र की एक स्वयं सेवी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर भ्रूण परीक्षण के बाद 8 हजार गर्भपात करवाये गये जिनमें से 7399 कन्याएँ थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक महीने 967 महिलायें बलात्कार का शिकार होती हैं। जिसमें से 50 प्रतिशत दस वर्ष से कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में महिलाएँ सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। यहाँ प्रत्येक दिन सात महिलायें बलात्कार की शिकार होती हैं जो सम्पूर्ण देश का 22 प्रतिशत हैं। उसके बाद उत्तरप्रदेश में प्रत्येक महीने में 146 महिलाएँ बलात्कार का शिकार होती हैं। राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में लगभग क्रमशः 74, 69, 68 व 62 बलात्कार के मामले दर्ज किये जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार व स्वास्थ्य संगठन 2005 की रिपोर्ट के अनुसार समय में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड अटैक इत्यादि हो रहे हैं। महिलाएँ अपने सम्पूर्ण जीवन काल में 33.5 प्रतिशत व 8.5 प्रतिशत शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं। इन महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष होती हैं।

नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत में अपराध दर 46 मिनट में 1,00,000 बलात्कार 2 मिनट पर 10,000 दहेज उत्पीडन 0.7 पर 1,00,000 घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।

थॉम्सन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वेक्षण के आधार पर भारत में महिलाओं की स्थिति को बुरा बताया गया है व भारत के सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा गया है कि भारत में महिलाओं का दर्जा धन और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है व इस देश में कम उम्र में विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा व कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारणों को हिंसा के लिए जिम्मेदार है भारत में सात वर्ष पहले बना घरेलू हिंसा कानून अधिनियम 2005 एक पहल है हिंसा के खिलाफ एक गतिशील कदम है। परन्तु लिंग के आधार पर भारत में हिंसा अभी भी होती है और इस प्रकार की महिलाएँ अपने सम्पूर्ण जीवन काल में 33.5 प्रतिशत व 8.5 प्रतिशत शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं। इन महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष होती हैं।

भारत की राजधानी दिल्ली व इसके आस-पास के इलाकों में बलात्कार व देह व्यापार व महिलाओं की तस्करी अधिक होती है। इस सर्वेक्षण ने सरकारी अध्ययन का उल्लेख

करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत में 51 प्रतिशत पुरुषों व 54 प्रतिशत महिलाओं ने पत्नियों की पिटाई को उचित ठहराया है।

वर्तमान समय में भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के स्वरूप में परिवर्तन आया है। पिछले कुछ वर्षों में देश में महिलाओं पर एसिड अटैक की घटनाओं में वृद्धि हुई है इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग कर घटनाएँ भी सामने आ रही हैं।

घरेलू हिंसा से सम्बन्धित मामलों के आधार पर राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। इस आधुनिक काल में भी राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जयपुर में सेव द चिल्ड्रन व राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महिला संस्था रूवा के द्वारा आयोजित कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया की महिला हिंसा के मामले में जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है जबकि अलवर दूसरे स्थान पर है व जैसलमेर, बीकानेर एवं सिरोही जिलों को सुरक्षित माना है।

घरेलू हिंसा की शिकायत करने में राजस्थान की महिला सबसे आगे हैं। पत्नि को पीटन, शराब पीने, की सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्थानी महिलाओं के द्वारा की जाती हैं। राजस्थान में महिला हिंसा के आकड़ों की जानकारी देते हुए सेव द चिल्ड्रन के रमाकान्त सतपति ने बताया है की भारत में होने वाली कुल हिंसा के 8 प्रतिशत मामले राजस्थान के होते हैं व बालिका हिंसा के 4.1 प्रतिशत मामले होते हैं। राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में चुनी गई जन प्रतिनिधियों के पास घरेलू हिंसा के जुड़ी शिकायत आती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और इंटरनेशनल सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन वीमन की ओर से किये गये देश के ऑडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है की राजस्थान में 12.1 प्रतिशत घरेलू हिंसा के मामलों में महिला जन प्रतिनिधियों की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

वर्तमान समय में भी राजस्थान में बाल-विवाह, वेश्वावृत्ति, वधुओं को दहेज के लिए जलाकर मार देना आदि अपराध हो रहे हैं सरकारी प्रयास के बावजूद भी समाज में से इन अपराध को समाप्त नहीं का पा रही हैं। दहेज, हत्या, बलात्कार व घरेलू हिंसा से बचाव के लिए सरकार के द्वारा महिलाओं को अधिकार प्रदान किये गये हैं। जो निम्न प्रकार हैं :-

1. हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1850
2. बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 संशोधित 1978
3. दहेज निरोधक अधिनियम 1961
4. महिला व कन्या का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956
5. सती प्रथा अधिनियम 1829

6. मातृत्व सुविधा अधिनियम 1890
7. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
8. हिन्दु विवाह व विवाह विच्छेद अधिनियम 1955
9. कन्या शिशु हत्या 1870
10. हिन्दु उत्तराधिकारी 1956
11. डायन प्रथा अधिनियम 2001

घरेलू हिंसा का अर्थ :-

परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य अगर महिला को मारता है। उसके साथ अभद्र भाषा में बात करता है या उसे किसी भी चीज के लिए विवश करता है तो वह महिला घरेलू हिंसा कहलाती है। महिला सशक्तिकरण के इस युग में भी घरेलू हिंसा के मामलों दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं।

भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा "ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है।" महिला हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाये हैं परन्तु महिलाओं के साथ होने वाली "घरेलू हिंसा" में कमी नहीं आयी है। महिला विरुद्ध हिंसा हमारे देश में होने वाली रोजमर्रा होने वाली समस्या है। हर रोज महिला को मारना-पीटना, बेइज्जत करना, धमकाना तथा यौन रूप से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित महिलाएँ प्रायः सामाजिक-सांस्कृतिक दबावों के कारण आवाज नहीं उठा पाती। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की मुख्य धुरी परिवार है। क्योंकि यह महिलाओ पर दबाव डालने का काम करती है।

IJLRA

घरेलू हिंसा की परिभाषा :-

1. पुलिस के अनुसार – महिला वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में रखा गया है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहैज प्रताड़ना तथा अकारण मार-पीट प्रमुख है।
2. राज्य महिला आयोग के अनुसार – कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी।

परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट की धमकी देना व उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं इसके अतिरिक्त लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आती हैं।

घरेलू हिंसा के कारण :-

भारत में पितृसत्तात्मक को अधिक महत्व देने के कारण व लड़कियों को कमजोर व लड़कों को साहसी माना जाता है जिसके कारण लड़कियों आत्मविश्वास विकसित नहीं हो पाता है घरेलू हिंसा के कारण निम्नलिखित हैं।

1. महिला के चरित्र पर संदेह करना
2. शराब की लत
3. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का दुष्प्रभाव
4. महिला का स्वावलम्बी बनने से रोकना
5. समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव

घरेलू हिंसा के प्रकार :-

1. शारीरिक हिंसा :-

इस हिंसा में मारपीट करना, लात मारना, थप्पड़ देना या अन्य रीति से शारीरिक हिंसा करना।

2. लैंगिक हिंसा :-

जैसे बलात् लैंगिक हिंसा, अश्लील साहित्य को देखने को विवश करना, लैंगिक मैथुन आदि

3. मौखिक हिंसा :-

अपमान करना, गालियाँ देना, विवाह के लिए विवश करना, पुरुष सन्तान न होना, नौकरी छोड़ने के लिए विवश करना।

4. आर्थिक हिंसा :-

महिला तथा अपने बच्चों को अपनी देखभाल के लिए धन न देना, महिलाओं को अपना रोजगार न करने देना, वेतन आदि ले लेना।

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 :-

महिलाओं के प्रति हिंसा भारतीय समाज के लिए नई समस्या नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज की महिलाएँ प्रारम्भ से अवमानना, यातना और शोषण को सहन कर रही हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। घरेलू हिंसा से भारतीय समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया है।

घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका मूल उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा व दुर्व्यवहार शामिल किये गये है। भारतीय संविधान में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कुल 13 धाराएँ है।

शोध के उद्देश्य :-

1. भारत में महिलाओं की स्थिति का वैदिक काल से आधुनिक काल का अध्ययन करना।
2. घरेलू हिंसा से संबंधित कानून का अध्ययन करना व विशेषाधिकारी का अध्ययन करना।
3. घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय सुझाव देना।
4. राजस्थान में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के सन्दर्भ में अध्ययन करना। महिलाओं की सामाजिक स्थिति के उत्थान के सुझाव देना।

शोध के सप्तम व अन्तिम अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार भारतीय महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है। हिंसा के प्राचीन तरीके से आधुनिक स्वरूप का वर्णन व उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसी परिदृष्ट को ध्यान में रख कर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया है। उसका किस प्रकार प्रयोग हो रहा है व राजस्थान की महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है का अध्ययन किया जायेगा।

शोध परिकल्पना :-

1. महिलाओं का अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होने व अपने संविधानिक रूप से अधिकारों से परिचित करवाना।
2. भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को केन्द्र बिन्दु मानकर अपनी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे वह अधिक-से-अधिक भागीदारी कर सके।
3. महिलाओं के द्वारा आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाये जिससे उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो सके व आत्मविश्वास में वृद्धि हो और वह हिंसा का विरोध कर सके।

उपसंहार :-

हिंसा के प्राचीन तरीके से आधुनिक स्वरूप का वर्णन व उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसी परिदृष्ट को ध्यान में रख कर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया है। उसका किस प्रकार प्रयोग हो रहा है व राजस्थान की महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है का अध्ययन किया जायेगा व इस आधार पर यह देखने का प्रयास किया जायेगा कि सरकार के द्वारा महिलाओं के हित के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं वह कितने सार्थक हो रहे हैं।